राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 5(22)नविवि/II/2020 जयपुर, दिनांकः 13 FEB 2023

संशोधित आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 7776/2020 अर्जुन सिंह भास्कर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निम्न निर्णय दिनांक 10.09.2020 पारित किया है:—

In light of such limited submission, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to consider and decide representation of the petitioner by passing a speaking order within a period of 60 day from today strictly in accordance with law.

The stay petition also stands disposed of.

प्रकरण में निर्णय, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा प्रकरण के सुसंगत अभिलेख का परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि श्री भास्कर का प्रकरण भी अन्य अभियन्ता श्री रामेश्वर लाल माथुर व अन्य के समान है ऐसी स्थिति में समानता के मध्यनजर श्री अर्जुन सिंह भास्कर की नियमित नियुक्ति तिथि 01.07.1991 माने जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त के कम में इस विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में जारी सहायक अभियन्ता (सिविल) की अस्थाई वरिष्ठता सूची आदेश कमांक प. 4(23)नविवि/II/2021 दिनांक 15.09.2022 में श्री अर्जुन सिंह भास्कर की नियमित नियुक्ति दिनांक के आधार पर, आंशिक संशोधन करते हुये क्र.सं. 06 पर अंकित इनके नाम को विलोपित किया जाकर क्र.सं. 02 पर अंकित श्री सुनील बोहरा के नीचे क्र.सं. 2—ए पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्तानुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 15.09.2022 में श्री भास्कर की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

क्र. सं.	वरिष्ठता सूची में क्रमांक	नाम अधिकारी सर्व श्री	वर्ग	डिप्लोमा/डिग्री	जन्म तिथि	चयनित वर्ष	विशेष विवरण
1.	2—ए	अर्जुन सिंह भास्कर		DIPLOMA	17.12.1962	2008—09	

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाते हुये अवमानना प्रकरण को निरस्त कराने की कार्यवाही कर इस विभाग को भी अवगत करावें।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. श्री अर्जुन सिंह भास्कर, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता (सिविल) द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Awadhesh Singh
Designation: Joint Secretary To Government संयुक्त शासन सचिव—तृतीय
Date: 2023.02.[illegible] [illegible]2:52:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3136438